Bal Sansar

''तैयारी'' परियोजना
(बाल संसार संस्था एवं यूनिसेफ का साझा प्रयास)

चुनौतियों को अवसरों में बदलने की तैयारी

बाल अधिकार

अनुच्छेद:1 ये अधिकार सभी बच्चों पर लागू होते हैं जो 18 वर्ष से कम आयु के हों।

अनुच्छेद:2 सभी बच्चे समान रूप से मूल्यवान हैं, सभी बच्चों के अधिकार समान हैं व उनके प्रति कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। किसी भी बच्चे के प्रति उसकी वेशभूषा, रंग, जाति, धर्म या विचारों की वजह से दुर्व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए।

अनुच्छेद:3 जो लोग बच्चों को प्रभावित करने वाले विषय पर कोई भी निर्णय लेते हैं उन्हे पहले यह देखना होगा कि उनके लिए क्या श्रेष्ठ है।

अनुच्छेद:6 आपको अपने जीवन पर व अपने आप को विकसित करने का पूर्ण अधिकार है।

अनुच्छेद:7 आपको अपने नाम व अपनी राष्ट्रीयता का अधिकार है।

अनुच्छेद:9 आपको अपने माता–पिता के साथ रहने का अधिकार है जब तक यह आपके लिए हानिकारक नहीं हो। जब आवश्यक हो तब आपको अपने माता–पिता द्वारा पालन–पोषण पाने का अधिकार प्राप्त है।

अनुच्छेद:12–15 आपको यह अधिकार है कि आप जो सोचते हैं वह कह सकें। आपके विचारों का आदर होना चाहिए। जैसे घर पर, स्कूल में, अधिकारियों द्वारा व न्यायालय में आपकी सलाह उन सभी मामलों में जो आपसे संबद्ध हो माननीय होनी चाहिए।

अनुच्छेद:18 आपके पालन–पोषण व विकास के लिए आपके माता–पिता संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं तथा उनको आपका हित सर्वोपरि रखना चाहिए।

अनुच्छेद:19 आपको यह अधिकार प्राप्त है कि आप अपने आपको हर प्रकार की हिंसा, अनदेखी, दुराचार से सुरक्षित रख सके तथा आपके अभिभावकों व संरक्षकों द्वारा आपका शोषण नहीं हो।

अनुच्छेद:20–21 यदि आपने आपना परिवार खो दिया है अथवा अनाथ हों तब भी आप देखभाल के लिए अधिकृत हैं।

अनुच्छेद:22 यदि आपको अपना देश छोड़ने के लिए विवश किया गया है तब आप अपने नये देश में भी समान अधिकार पा सकते हैं जो कि नये देश के दूसरे बच्चों को प्राप्त हैं यदि आप अकेले हैं तब आप विशेष संरक्षण और सहयोग पाने के लिए भी अधिकृत हैं। यदि संभव हो तो आपको अपने परिवार से मिलाने के प्रयास होने चाहिएं।

अनुच्छेद:23 सभी बच्चों को एक अच्छी जिंदगी का अधिकार प्राप्त है। यदि आप विकलांग है तब आप अतिरिक्त सहायता एवं सहयोग पाने के लिए अधिकृत हैं।

अनुच्छेद:24 जब आप अस्वस्थ हों तब आपको हर प्रकार की सहायता व देखभाल पाने का अधिकार है।

अनुच्छेद:28–29 आपको स्कूल जाने का व महत्वपूर्ण कार्य सीखने का अधिकार प्राप्त है। जैसे दूसरों के अधिकारों का सम्मान करना और दूसरों की संस्कृतियों को सम्मान देना।

अनुच्छेद:30 प्रत्येक बच्चे के विचारों और सोच पर विश्वास किया जाना चाहिए। यदि आप अल्पसंख्यक की श्रेणी में आते हैं तब आपको अपनी भाषा, संस्कृति और धर्म का पूर्ण अधिकार है।

अनुच्छेद:31 आपको एक स्वस्थ पर्यावरण में खेलने, विश्राम करने और जीने का अधिकार प्राप्त है।

अनुच्छेद:32 आपको ऐसे खतरनाक कार्य के लिए विवश नहीं किया जा सकता जिससे आपकी पढ़ाई छूटती या समाप्त होती हो और जो आपके स्वास्थ्य एवं विकास के लिए हानिकारक हों।

अनुच्छेद:34 कोई भी आपको अनाचार और वैश्यावृति के लिए बाध्य नहीं कर सकता। यदि ऐसा दुर्व्यवहार आपके साथ हो तो आप संरक्षण एवं सहायता पाने के अधिकारी हैं।

अनुच्छेद:35 आपका अपहरण करने या बेचने की किसी को भी आज्ञा नहीं है।

अनुच्छेद:37 कोई आपको क्रूर व हानिकारक ढंग से सजा नहीं दे सकता है।

अनुच्छेद:42 सभी व्यस्कों और बच्चों को इन अधिकारों की जानकारी होनी चाहिए। आपको अपने अधिकारों के बारे में जानने का अधिकार है।

स्रोत : बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के बाल सम्मेलन में 54 अनुच्छेद हैं उनमें से कुछ का यहां संक्षिप्त विवरण दिया गया है।

पंजीकृत कार्यालय	{ks=h; dk;kZy;&vtesj	{ks=h; dk;kZy;&Vksad
बाल संसार संस्था, 'स्वस्ति' बी–88, सरस्वती मार्ग, बजाज नगर, जयपुर–302015 फोन:0141–2710996 ईमेल: bsansarindia@yahoo.co.in, bsstaiyarijaipur@gmail.com बेबसाइट: www.balsansarindia.com	**बाल संसार संस्था,** फॉय सागर रोड, हाथीखेडा,अजमेर–305005 फोन: 0145–2600415 फैक्स: 0145–2600515 ईमेल: bsstaiyariajmer@gmail.com	**बाल संसार संस्था,** 35, अस्तल रोड, छावनी चौराहा, टोंक–304001 फोन: 01432-243554 ईमेल: bsstaiyaritonk@gmail.com